

की जारी

मुकाम दोहा  
 बनाम राजस्थान  
 नं. 80 सन 2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

17/4/18 व 18/4/18 प्रार्थी द्वारा अपीलेशन की प्रतीति हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा जारी हुकम परावली दिनांक 29/5/18 को पेश किया गया।

29/5/18 आज 12:00 बजे कोर्ट में व्यस्त होने से जनरल ला. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 2/6/18 को पेश हो

राजस्थान लोक न्याय आयोग  
 न्याय अधिक द्वारा 2018


29/5/18 परावली राजस्थान लोक न्याय आयोग के पास कोर्ट के आदेशों के पेशे हुए परावली एवं परावली के उपलब्ध प्रमाणों से अवगत कर लिया गया। प्रार्थी का बयान उद्घोषण एवं प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मूल वाद के निष्पत्ती के बाद वादवादी प्रार्थी के अनुसार परिणामों को देखते हुए प्रार्थी को बजाये राबन हेतु अपीलेशन को अस्वीकार किया जा रहा है। प्रार्थी को अपीलेशन पर अस्वीकार किया जा रहा है तथा अपीलेशन के मूल वाद के निष्पत्ती के बाद वादवादी प्रार्थी के अनुसार परिणामों को देखते हुए अपीलेशन को अस्वीकार किया जा रहा है।



सहायक कलेक्टर  
 दोहा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म क में ज
----------------	------------------------------------	------------------------------------

ये प्रोपर्टी बिल्डिंग विद्या जागी है कि ग्राम बोरोडा  
 निम्न वि. नं. 303, 304 व 305 के राजस्व  
 निर्धारण के लिये ही जयपुर सिविल बलापे रबो  
 अथवा कौसल शुभा (सं. नं. 1) से इन दो हुक्म  
 द्वारा वकील प्रो. वि. लख शर्मा को जो मूल  
 बात के प्राप्ति के निर्णय राजस्व लेव  
 इत्यादि हुक्म के बोरोडा के मामले आत  
 में लिखवाया जाये तुलना करा



[Signature]  
 महाश्वर कलेक्टर  
 दारा